अध्याय VI : वित्त मंत्रालय

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण

6.1 सेवा कर पर परिहार्य व्यय

ग्राहकों से सेवा कर की वसूली में विफलता तथा स्वयं की निधियों में से उसके अनुवर्ती भुगतान का परिणाम ₹22.58 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (बी.नि.वि.प्रा.), हैदराबाद प्रभारों/शुल्कों का संग्रहण करके सार्वजनिक/निजी बीमा कम्पनियों, ऐजेंटों, दलालों आदि को सेवाएं प्रदान कर रहा है। वित्त बिल 2012 के प्रावधानों के अनुसार, सेवा कर उन सेवाओं, जो धारा 66 घ के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, (नकारात्मक सूची तथा छूट प्राप्त सेवाएं), को छोडकर सभी सेवाओं पर वसूल किया जाना है। बी.नि.वि.प्रा. द्वारा प्रदत्त सेवाएं नकारात्मक सूची में शामिल नहीं थीं। इसलिए, बी.नि.वि.प्रा. को 1 जुलाई 2012 से इसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर प्रभारों/शुल्कों को वसूलना अपेक्षित था।

बी.नि.वि.प्रा. ने, कर का संग्रहण करने के बजाए, इसके द्वारा प्रस्तुत सेवाओं को नकारात्मक सूची में शामिल किए जाने हेतु मंत्रालय को अनुरोध किया (अप्रैल 2012)। तथापि, बी.नि.वि.प्रा. ने मंत्रालय से निर्णय लंबित होने से अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सेवाकर का संग्रहण नहीं किया था।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2013) कि छूट को न्यूनतम पर रखने का सरकार का सचेतन निर्णय था तथा इस प्रकार बी.नि.वि.प्रा. की सेवाएं सेवाकर के अधीन हैं।

बाद में, बी.नि.वि.प्रा. ने एक कर सलाहकार से राय की मांग की, जिसने सेवाकर देयता को सुनिश्चित किया (दिसम्बर 2013) तथा 1 जुलाई 2012 से 2 दिसम्बर 2013 की अवधि के लिए इसका ₹17.09 करोड़ पर निर्धारण किया।

बी.नि.वि.प्रा. ने सेवा प्राप्तकर्ताओं से 1 जनवरी 2014 से देय सेवा कर का एकत्र करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2013)। तथापि, इसने 01.07.2012 से 31.12.2013 की अवधि के लिए ₹22.58[1] करोड़ का सेवा कर अदा किया।

लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2014) कि

- बी.नि.वि.प्रा. ने मंत्रालय का उत्तर जो 15 महीनों के पश्चात प्राप्त हुआ था, लंबित होने से अपने सेवा प्राप्तकर्ताओं से सेवा कर वसूलना विवेकपूर्ण नहीं समझा था।

- जुलाई 2013 में मंत्रालय के उत्तर की प्राप्ति के पश्चात भी, बी.नि.वि.प्रा. अपने ग्राहकों से सेवा कर वसूलने हेतु कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की थी तथा इसकी बजाए इसने अपनी स्वयं की निधियों से कर अदा करने का निर्णय लिया।

बी.नि.वि.प्रा. ने बताया (सितम्बर 2014) कि

- चूंकि विषय पर कोई स्पष्टता नहीं थी इसलिए इसने मंत्रालय की राय मांगी तथा स्पष्टीकरण जुलाई 2013 में प्राप्त हुआ था।

- कर सलाहकार से मांगी गई राय सेवा कर के परिकलन के लिए थी न कि इसकी उपयुक्तता के संबंध में थी।

- इसको लगा कि ऐजेंटों (20 लाख), दलालों (300) आदि से सेवा कर की वसूली करना दुर्वहनीय था तथा इसलिए सेवा कर देयता को वहन करने का सचेतन निर्णय था।

---

[1] अदा किया गया सेवा कर ₹6.42 करोड़ (01.07.2012 से 31.12.2012) तथा ₹16.16 करोड़ (01.01.2013 से 31.12.2013) कुल ₹22.33 करोड़

उत्तर को निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

- बी.नि.वि.प्रा. द्वारा प्रदत्त सेवाएं न तो नकारात्मक सूची में और न ही किसी विशिष्ट छूट अधिसूचना में शामिल थी तथा इसलिए यह सेवा कर के अधीन थीं।

- कर सलाहकार ने भी अपनी राय में सुनिश्चित किया कि बी.नि.वि.प्रा. द्वारा प्रदत्त सेवाएं न तो नकारात्मक सूची और न ही विशाल छूट सूची के अंतर्गत शामिल थी, इसलिए सेवा कर को आकर्षित करती थी।

- बी.नि.वि.प्रा. को लाइसेंसों के नवीकरण के समय अपने सेवा प्राप्त कर्ताओं से कर के संग्रहण हेतु प्रयास करने चाहिए थे क्योंकि बी.नि.वि.प्रा. द्वारा प्रदत्त सेवाएं स्पष्ट रूप से करयोग्य थीं तथा इसकी वसूली हेतु कदम उठाए बिना भार वहन करने का इसका निर्णय त्रुटिपूर्ण था।

इसलिए सेवा कर का एकत्र न करने के पहले तथा बाद में कर देयता को वहन करने के बी.नि.वि.प्रा. के निर्णय का परिणाम ₹22.58 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ था।

मामला मंत्रालय को सूचित किया (अक्तूबर 2014) गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पुणे

6.2 क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र हेतु कार्यालय स्थान किराए पर लेने हेतु किया गया निष्फल व्यय

योजना एवं इसकी आवश्यकता के उपयुक्त विश्लेषण के बिना पुणे में क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र का सृजन करने के के.प्र.क.बो. के निर्णय का परिणाम कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पुणे द्वारा ₹3.83 करोड़ तक क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र हेतु कार्यालय स्थान को किराए पर लेने के प्रति निष्फल व्यय में हुआ।

सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 21 वित्तीय औचित्य को निर्दिष्ट करता है तथा अपेक्षित करता है कि प्रत्येक अधिकारी, जो, लोक धन से व्यय करता है या प्राधिकृत करता है, को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों द्वारा दिशानिर्देशित किया जाना चाहिए। प्रत्येक अधिकारी को लोक धन से किए गए व्यय के संबंध में वैसी ही सतर्कता का उपयोग करने के लिए, जैसा साधारण समझदार व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के संबंध में उपयोग करेगा, वित्तीय आदेश तथा कड़ी मितव्ययता को लागू करना चाहिए। व्यय अवसर मांगों से अधिक प्रत्यक्षत: नहीं होना चाहिए।

माननीय वित्त मंत्री ने 2010 के बजट प्रस्तुतीकरण में कर्नाटक तथा गोवा क्षेत्र को छोडकर मैनुअल रिटर्नों का संसाधन करने के लिए पुणे तथा मानेसर में क्षेत्रीय संसाधनों केन्द्र (क्षे.सं.के.) की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव किया था। क्षे.सं.के. के मुख्य कार्य नामित स्थानों से रिटर्नों के संकलन सहित पैपर रिटर्नों को प्रबंधित करना, डिजीटाइजेशन, डाटा एंट्री तथा डिजीटाईज्ड रिटर्न डाटा को केन्द्रीय संसाधन केन्द्र (के.सं.के.), बैंगलुरू, जिसे इंफोसिस द्वारा सभी ई-रिटर्नों का संचालन करने हेतु चलाया जा रहा है, को आगे बढ़ाना थे। तदनुसार, आयकर निदेशालय (प्रणालियां) के निर्देशों (जून 2010) के आधार पर, मुख्य आयकर आयुक्त (मु.आ.आ.) पुणे ने एक समिति गठित की (नवम्बर 2010) तथा सभी प्रक्रियाओं तथा सावधानियों के पश्चात निविदाएं प्रारम्भ की गई थीं तथा हिगेवाड़ी, तालुका मूलश्री, पुणे में कोल्ड शैल हेतु ₹28 प्रति व.फु. प्रति माह के कारपेट एरिया की दर तथा वार्म शैल हेतु ₹36 प्रति व.फु. प्रति माह के कारपेट एरिया की दर पर मैसर्स वासन इंजीनियरिंग लि. (फोनिक्स वैंचर्स) से 1,06,278/व.फुट के स्थान का चयन किया गया था। के.प्र.क.बो. द्वारा इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय संस्वीकृति जून 2011 में दी गई थी। विभाग ने अनुबंध दिनांक 20 जुलाई 2011 के अनुसार 20 जुलाई 2011 से किराया देना आरम्भ किया।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (के.प्र.क.बो.) ने बाद में अनुभव किया कि केन्द्र में पैपर रिटर्नों को संसाधित करने में शामिल लागत (के.सं.के.) बैंगलुरू में मैसर्स इंफोसिस द्वारा प्रभारित वर्तमान दरों की तुलना में असाधारण रूप से अधिक होगी। विभाग ने यह भी पाया कि क्षे.सं.के. की स्थापना करना व्यवहार्य नहीं था क्योंकि ई-रिटर्नों की संख्या पर्याप्त रूप से बढ़ी थी जबकि पैपर रिटर्नों की संख्या काफी कम हुई थी तथा इसलिए रिटर्नों की ई-फाइलिंग की ओर बढ़ने की आवश्यकता थी। संभावित रूप से, के.प्र.क.बो. ने जून 2012 में मु.आ.आ.-1 पुणे को सूचित किया कि क्षे.सं.के. पुणे को रद्द किया जाना था तथा परवर्ती को 2 महीने का नोटिस जारी करने के पश्चात किराए के परिसरों के पट्टे को समाप्त करने को कहा। मु.आ.आ.-1 पुणे ने तदनुसार पट्टादाता को 2 महीने की अवधि का नोटिस दिया (15/06/2012) तथा 15.08.2012 से पट्टे को समाप्त किया। इस प्रकार, यद्यपि मु.आ.आ. ने जुलाई 2011 से अगस्त 2012 तक की अवधि हेतु कुल ₹3.83 करोड़ (जैसा **अनुबंध VIII** में ब्यौरा दिया गया है) का किराया अदा किया फिर भी न तो बिल्डिंग का वास्तविक अधिग्रहण किया गया था और न ही कोई कार्य किया गया था।

इसे इंगित किये जाने पर (मार्च 2014) विभाग ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि गैर-पैन आधारित ए.आई.आर. सूचना को संसाधित करने हेतु अलग संसाधन केन्द्र की स्थापना करने सहित किराए के परिसर के वैकल्पिक उपयोग के के.प्र.क.बो. के प्रस्ताव को इस आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया था कि इसके लिए एक पूर्ण नया प्रस्ताव अपेक्षित होगा जो स्वयं एक वर्ष से अधिक का समय लेगा। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय तथा के.प्र.क.बो. क्षे.सं.के. पुणे को किराए पर लेने तथा पट्टे की समाप्ति की पूर्ण प्रक्रिया में शामिल थे।

लेखापरीक्षा जांच से आगे पता चला कि डाटा एंट्री कार्य के आउटसोर्सिंग के विरूद्ध आयकर कर्मचारी संघ के विरोध का मामला निविदा प्रक्रिया के शुरूआत से ही निरंतर बना हुआ था क्योंकि कर्नाटक तथा गोवा की पैपर रिर्टनों की

अप्रैल 2010 से के.सं.के. को आपूर्ति नहीं की जा रही थी। आ.क.सं. के विरोध के कारण प्रत्याशित दल बोली के अनिच्छुक थे जिसके परिणामस्वरूप बोलियों के प्रस्तुतीकरण तथा पुन: निविदा हेतु समय के विस्तार के बावजूद बोलियों की कम संख्या प्राप्त की गई थीं। इसके अतिरिक्त, विभाग उस अवधि जिसमें क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव प्रक्रिया में था, के दौरान निर्धारितियों की अधिक से अधिक संख्या हेतु ई-फाईलिंग, को अनिवार्य बनाने की प्रक्रिया में था। इस प्रकार, विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि के.प्र.क.बो. ने वित्तीय विविक्षा का मूल्यांकन किए बिना जल्दी में निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, ई-फाईलिंग में वृद्धि तथा पेपर रिटर्नों में कमी की प्रवृत्ति की क्षे.सं.के. पुणे की स्थापना का निर्णय लेने से पूर्व विभाग द्वारा अभिकल्पना तथा विश्लेषण नहीं किया गया था। इसका परिणाम मु.आ.आ. पुणे द्वारा ₹3.83 करोड़ का निष्फल व्यय में हुआ।

मामला मंत्रालय को भेजा गया था (दिसम्बर 2014); उनका उत्तर फरवरी 2015 तक प्रतीक्षित था।